रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236557
CG-DL-E-14062022-236557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
No. 426] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

सा.का.नि. 447(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय, पेटेंट कार्यालय ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और भंडार अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय, पेटेंट कार्यालय में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और भंडार अधिकारी भर्ती नियम,2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता: वह व्यक्ति,**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह ‘क’ राजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-11 (रु. 67,700 – 2,08,700)।	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(06)	(07)	(08)	(09)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		**प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**		**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)		(11)	(12)		(13)
पद्धति	**प्रतिशत**				
प्रोन्नति जिसके न हो सकने	100 प्रतिशत	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स स्तर 10	**प्रोन्नति**	**सीधी भर्ती के मामले में पुष्टिकरण**	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा

पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)		में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** (क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या	1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग- अध्यक्ष; 2. महानियंत्रक, पेटेंट्स, डिजाइन और व्यापार चिन्ह - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वाणिज्य विभाग – सदस्य।	लागू नहीं होता।	भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में प्रशासन या स्थापना कार्य में 5 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद			

		पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2. भंडार अधिकारी	10* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर-7 (रु. 44,900 - 1,42,400)।	लागू नहीं होता।

(06)	(07)	(08)	(09)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)		(11)	(12)	(13)
पद्धति	**प्रतिशत**			
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	100 प्रतिशत	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी, जो - (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) मूल काडर या विभाग में स्तर 6 या समतुल्य में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विज्ञान या व्यापार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंको के भंडार-गृह के रख-रखाव या भंडार-गृह के लेखों की देख-रेख या उससे संबंधित कार्यों में एक वर्ष का अनुभव। या (ख)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी विज्ञान या व्यापार अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक की उपाधि और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से माल प्रबंधन या भांडागारण प्रबंधन या खरीद या संभार-तंत्र या सार्वजनिक अधिप्राप्ति में डिप्लोमा; और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंको के भंडार-गृह के रख-रखाव या भंडार-गृह के लेखों की देख-रेख या उससे संबंधित कार्यों में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. पी-24023/2/2018-आईपीआर-I]

श्रुति सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2022

G.S.R. 447(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Senior Administrative Officer and Store Officer in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Patent Office in the Office of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Patent Office, Senior Administrative Officer and Store Officer Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in coloumn (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving**.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non–selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Senior Administrative Officer.	1(2022) *Subject to variation depending upon the workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level – 11 (Rs. 67700-208700).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.
(7)
Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
(8)	**(9)**	**(10)**	
		Method	Percentage
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation (including short-term contract)	Hundred percent.

<table>
<tr><td>In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.</td><td colspan="2">If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.</td></tr>
<tr><td>(11)</td><td colspan="2">(12)</td></tr>
<tr><td>Promotion:

Administrative Officer in level 10 (Rs. 67700-208700) in pay matrix with five years regular service in the grade and successfully completed up to four weeks of training in the field of Administration, Establishment and Accounts.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including Short Term Contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or recognised university or Research Institute or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous body,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years regular service rendered after appointment thereto on regular basis in the level 10 in pay matrix or equivalent; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

(i) Bachelors Degree from a recognised University or Institute; and

(ii) Five years experience in Administration or Establishment work</td><td>Promotion

1. Joint Secretary (Administration) Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman;

2. Controller General of Patents, Designs and Trade Marks -Member;

3. Joint Secretary (Administration) Department of Commerce - Member.</td><td>Confirmation of DR

Not applicable.</td></tr>
</table>

in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body or recognised university or research institute. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications		

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. Store Officer.	10 (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group ‘B’.	Level -7 (Rs. 44,900-1,42,400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)
Not applicable.

(8)	**(9)**	**(10)**	
		Method	Percentage
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Hundred percent.

(11)	**(12)**
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised University or Research Institute or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisation,-	Not Applicable.

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in level – 6 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (A) (i) Masters Degree in Economics or Commerce or Statics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute; and (ii) One year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or concern of the Central Government or State Government, Statutory or Autonomous organisation or Public Sector Undertaking or University or any recognised Institution or Banks. OR (B) (i) Bachelors Degree with Economics or Commerce or Statics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute; (ii) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognised University or Institute; and (iii) Two years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or any recognised institution or Banks. Note1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. P-24023/2/2018-IPR-I]

SHRUTI SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.14 15:59:58 +05'30'